हिमाचल प्रदेश विधान सभा

(पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 12.05 बजे तक)

(राष्ट्रगान गाया गया)

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पंचम तथा वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के शुभारम्भ पर मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मेरी सरकार ने **व्यवस्था परिवर्तन** का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्यों तथा आपके माध्यम से, हिमाचल प्रदेश की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि नववर्ष में हम प्रदेशवासियों की सेवा और अधिक समर्पण, शक्ति एवं प्रतिबद्धता से करेंगे।

2. आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ जो आर्थिक विकास की अवधारणा विकसित हुई थी उसमें आधारभूत बदलाव की आवश्यकता है। यह परिवर्तन हर स्तर पर प्रारम्भ करना होगा। मेरी सरकार ने इस दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाये हैं और वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिये नीतिगत निर्णय लिये गये है और चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3. मेरी सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिये पहली पसंद बनाने के लिये व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। प्रदेश में 6 ग्रीन कोरिडोर विकसित किए जा रहें हैं। इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है।

4. वर्तमान में परवाणू से नूरपुर, शिमला से धर्मशाला व किरतपुर से केलांग कोरिडोर पर इलैक्ट्रिक वाहनों से सफर किया जा सकता है। अन्य तीन कोरिडोर पर भी विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधा शीघ्र स्थापित की जाएगी। विद्युत वाहनों के संचालन से विभाग को पिछले एक वर्ष में रख–रखाव व डीजल/पैट्रोल पर होने वाले खर्च में लाखों रूपये की बचत हुई है। साथ ही प्रदेश हरित राज्य बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा है।

5. मेरी सरकार ने युवाओं को स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करने व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **राजीव गान्धी स्वरोजगार योजना, 2023** लागू की है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने ई–टैक्सी स्कीम लागू की है जिसमें ई–टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इन्ही ई–टैक्सियों को कम से कम चार वर्षों के लिए सरकारी विभागों द्वारा अनुबन्ध पर भी लिया जायेगा। विभाग को इस योजना में एक हज़ार 222 बेरोज़गार युवाओं के आवेदन प्राप्त हुये हैं।

6. इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज से पहले सौर ऊर्जा का अर्थ था कि कुछ स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लग जायें या फिर सोलर लालटेन बांट दी जाये। मेरी सरकार ने इस व्यवस्था को भविष्य की मांग के आधार पर बदला है। प्रदेश में 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिये आवेदन मंगवाये गये हैं। अभी तक 247 आवेदकों को लगभग 252 मैगावाट क्षमता की सौर परियोजनायें आवंटित की गई हैं। इनमें से 93 मैगावाट की परियोजनाओं की औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं जिन्हें इस वर्ष के अन्त तक स्थापित कर दिया जायेगा। इससे स्वरोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे तथा हरित ऊर्जा उत्पादन को एक सफल आर्थिक विकल्प के रूप में अपनाने का रास्ता खुलेगा।

7. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष में अभी तक 197 सोलर पम्प स्थापित किये गये हैं। मेरी सरकार Roof Top Solar Plants स्थापित करने और उन्हें बिजली की Grid से जोड़ने पर बल दे रही है। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को राशि प्रदान की गई है। 19 गावों को **मॉडल ईको विलेज योजना** के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 112 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी प्लास्टिक कचरे से किया गया है।

8. हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त परियोजना के द्वितीय–चरण के कार्यान्वयन हेतु GIZ के सहयोग के अन्तर्गत चुना गया है। मेरी सरकार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की ओर बढ़ रही है।

9. मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही मंत्रीमंडल की प्रथम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को जो NPS के अंतर्गत आते थे, पुरानी पेंशन का लाभ दिया। यह निर्णय कर्मचारियों/अधिकारियों के कल्याण के उद्देश्य से लिया गया ताकि सेवानिवृति के उपरान्त उनको समुचित पेंशन प्राप्त हो सके। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के उपरान्त एक लाख 15 हज़ार कर्मचारियों/अधिकारियों ने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प दिया है तथा उनके पक्ष में GPF नम्बर भी जारी हो चुके हैं।

10. सरकार की महत्वपूर्ण गारंटियों में से एक गारंटी को क्रियान्वित करने हेतु एक नई योजना **इन्दिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना** लागू की गई है। प्रथम चरण में जिला लाहौल–स्पीति की पात्र महिलाओं के साथ–साथ पूरे प्रदेश की पात्र पेंशनभोगी वृद्ध महिलाओं, विधवाओं, परित्यकताओं, एकल नारियों व दिव्यांग महिलाओं सहित 2 लाख 43 हज़ार महिलाओं को प्रतिमाह एक हज़ार 500 रूपये की राशि दी जायेगी। यह निर्णय मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।

11. वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत 7 लाख 83 हज़ार 719 लाभार्थियों को पैंशन दी जा रही है जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल एक हज़ार 256 करोड़ 43 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 41 हज़ार 799 नए लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन की वर्तमान प्रकिया को सरल करते हुए पात्र विधवाओं, परित्यक्ताओं, एकल नारियों व दिव्यांगजनों के लिए आय सीमा व ग्रामसभा की सिफारिश की अनिवार्य शर्तों में पूर्णतः छूट प्रदान कर दी है। विधवा पुर्नविवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 65 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये की गई है।

12. मेरी सरकार ने विधवा एवं एकल नारी के उत्थान हेतु एक नई योजना **मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना** लागू की है। योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को नए घर के निर्माण के लिए एक लाख 50 हज़ार रूपये के अनुदान का प्रावधान किया है।

13. बच्चे किसी भी समाज के भविष्य की नींव कहलाते हैं। प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों तथा विशेष रुप से देखभाल व सुरक्षा वाले बच्चों की व्यापक देखभाल के लिए **मुख्यमंत्री सुख**

आश्रय योजना शुरु की। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश सरकार इन बच्चों के माता–पिता का फ़र्ज निभाते हुए इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ जीवन के हर चरण में उनका प्रोत्साहन एवं समर्थन कर रही है। राज्य के 4 हजार 121 बच्चों को इस योजना के तहत पात्र घोषित करके उन पर 7 करोड़ 65 लाख 43 हज़ार रूपये व्यय किये गये हैं।

14. **मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना** के तहत बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों और अनाथ बच्चों को प्रतिमाह एक हज़ार रुपये से चार हज़ार रुपये के बीच सामाजिक सुरक्षा राशि दी जा रही है। इस योजना में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोज़गार, गृह निर्माण के लिये राशि और ज़मीन, विवाह अनुदान के लिये सहायता का भी प्रावधान है। इस योजना में हॉस्टल न होने पर किराये पर आवासीय सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं सभी पात्र बच्चों को महोत्सव भत्ता, वार्षिक शैक्षिक दौरा, परामर्श और कोचिंग भी प्रदान की जाती है। इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये **मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष** की स्थापना की गई है जिसमें 101 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा ज्वालामुखी में एकीकृत सुख आश्रय परिसर के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

15. मेरी सरकार ने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया है। प्रदेश की जनता के साथ किये गये सभी वायदे चरणबद्ध तरीके से पूरे किये जायेंगे और विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आयेगी। मेरी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने के लिये बहुआयामी परिवर्तन प्रारम्भ किये हैं। सरकार की इच्छा शक्ति एवं जन कल्याण के प्रति संवेदना और प्रतिबद्धता संकट के समय में सामने आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गत वर्ष की भयावह आपदा के समय पूरे देश और प्रदेश ने देखा है।

16. इस वर्ष बरसात में हिमाचल ने प्राकृतिक आपदा के रूप में इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी झेली है। पिछले कई दशकों में जो न देखा न सुना, ऐसी तबाही पहाड़ों पर बरसी। संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के साहस व सरकार के मज़बूत इरादों से हम

सभी ने इस आपदा का सामना किया। मेरी सरकार ने प्रभावित परिवारों के दुःख–दर्द को उनके बीच रहकर करीब से जाना व समझा है। आपदा से निपटने, प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, खोज और बचाव गतिविधियों को चलाने, सड़क, पानी एवं बिजली आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए तथा राहत एवं पुनर्वास के कार्यो में तेजी लाने के लिए लगभग एक हज़ार 741 करोड़ 17 लाख की राशि समस्त जिलाधीशों व विभिन्न विभागों को जारी की गई है।

17. मेरी सरकार द्वारा जारी किये गऐ **विषेष राहत पैकेज** के तहत राहत राशि, केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानदंड़ों से 5 से 20 गुणा अधिक है जोकि पूरे देश में अपनी तरह का पहला प्रयास रहा है। विशेष राहत पैकेज के तहत जिनके घर इस आपदा से पूर्णतः नष्ट हो चुके है उन्हें एक लाख 30 हज़ार से बढ़ाकर 7 लाख रूपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान पर 4 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख रूपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान पर 6 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख रूपये तथा अन्य सभी राहत मदों पर भी वृद्धि की गई है। मेरी सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए गये। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रभावित परिवारों को नवम्बर से मार्च तक 20 किलो आटा, 15 किलो चावल, 2 लीटर तेल, एक किलो नमक व 2 किलो चीनी प्रतिमाह उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

18. मेरी सरकार ने प्रदेश भर में आपदा में फंसे 75 हज़ार पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। इन प्रयासों को राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है।

19. मेरी सरकार ने अभूतपूर्व आपदा के बावजूद प्रदेश के विकास को गति दी है तथा प्रत्येक नागरिक की सुविधा को सामने रखते हुये सभी क्षेत्रों में लागू की जा रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया है। मेरी सरकार ने सर्वजन कल्याण की भावना से प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है तथा दूरगामी सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

20. मेरी सरकार प्रदेश के दूरस्थ भागों तक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों में 134 प्रकार की

प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। अभी तक 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में चार से पांच विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है। इन संस्थानों के पूर्णतः क्रियाशील होने पर लोगों को विशेषज्ञ सुविधायें घर के नज़दीक मिलेंगी और ज़िला अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी।

21. जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की सुविधा हेतु चयनित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्रथम रेफरल इकाइयों में 3 से 5 बिस्तर वाले जन्म प्रतीक्षा गृह स्थापित किए गए हैं, जिनमें गर्भवती महिला के साथ एक परिचर भी रह सकता है।

22. स्वास्थ्य सेवाओं को स्तरोन्नत करने के लिए इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के ट्रॉमा ब्लॉक में 10 करोड़ रूपये की लागत से एक नई 128 स्लाइस सी.टी. स्कैन मशीन और डिजिटल एक्सरे तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मण्डी में कैंसर रोगियों के लिए 21 करोड़ रूपये की लागत से LINAC मशीन स्थापित की गई है।

23. डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा टांडा में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू कर दी गई है। डॉ0 राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में कैंसर देखभाल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

24. पूरे देश में, कोविड (SARS-CoV–2) वायरस ने सदी की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पेश की है। भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए राज्य में पहली जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय नेरचौक, मण्डी में स्थापित की गई है।

25. यह हर्ष का विषय है कि प्रदेश को पिछले तीन वर्षों से **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम** प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन राज्य के रूप में चुना जा रहा है। इस वर्ष 800 से अधिक ग्राम पंचायतों ने पचायती राज विभाग के साथ सहयोगात्मक गतिविधियों के उपरान्त टी0 बी0 मुक्त ग्रामपंचायत के रूप में अपना दावा किया है।

26. प्रदेश में तीन विशिष्ट औषधीय पौधों के कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं जिनमें जोगिन्द्रनगर (मण्डी) में तेजपत्ता कॉरिडोर; नेरी (हमीरपुर) में अर्जुन कॉरिडोर; जंगल झलेरा (बिलासपुर) में मोरिंगा कॉरिडोर शामिल हैं। धुमरेडा (शिमला) में टैक्सस कॉरिडोर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

27. पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार का महत्वपूर्ण साधन है। इसके माध्यम से राजस्व सृजन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ–साथ विश्व स्तरीय पर्यटन अधोसंरचना के विकास पर भी बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा कांगड़ा ज़िला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटन ढांचे के विकास पर 3 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नई पर्यटन गतिविधियों जैसे कि आधुनिक गोल्फ कोर्स, चिड़ियाघर, पर्यटन क्षेत्र, वेलनेस पर्यटन और ईको–टूरिज्म का विकास भी किया जा रहा है।

28. प्रदेश में पांच नए हेलीपोर्ट्स कांगनीधार (जिला मंडी), सासे, मनाली (ज़िला कुल्लू), बद्दी (ज़िला सोलन) और संजौली व रामपुर (ज़िला शिमला) का निर्माण पूरा हो चुका है तथा इनके संचालन लाइसेंस के लिए DGCA का अंतिम निरीक्षण किया जा रहा है।

29. सभी ज़िला मुख्यालयों के अतिरिक्त जसकोट (हमीरपुर), रक्कड़ और पालमपुर (कांगड़ा), सुल्तानपुर (चंबा), आलू ग्राउंड मनाली (कुल्लू), शारबो (किन्नौर), जिस्पा, सिस्सू और रंगरिक (लाहौल स्पीति) में नए हेलीपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। दो नई स्थाई उड़ानें कुल्लू–अमृतसर तथा शिमला–अमृतसर भी शुरू कर दी गई हैं। तीन नए हैलीकॉप्टर मार्ग–रिकांगपिओ, कुल्लू और रक्कड़ (कांगड़ा) के लिए RCS उड़ान–5.1 के तहत आशय पत्र प्राप्त हो चुका है, औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् यह सेवा आरम्भ हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, औहर (बिलासपुर) में चार–लेन किरतपुर–मनाली सड़क पर एक वे साइड सुविधा और नदौन में एक नया होटल परिसर विकसित किया जा रहा है।

30. मेरी सरकार ने धार्मिक पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में रोपवे विकसित करने की योजना बनाई है। RTDC के माध्यम से 278 करोड़ रुपये की **बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे** परियोजना विकसित

करने के लिए पर्वतमाला योजना के तहत NHLML (नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी और तीन साल की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

31. माता चिंतपूर्णी मंदिर तक रोपवे को वायबिलिटी गैपफंडिंग (VGF) के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर विकसित किया जा रहा है। एक किलोमीटर लम्बे इस रोपवे से मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों की आवाजाही को आसान और नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। यह रोपवे 76 करोड़ रुपये की लागत से तीन साल में पूरा किया जायेगा। बगलामुखी रोपवे को पूर्ण कर लिया गया है तथा जाखू मंदिर के लिये एस्केलेटर स्थापित कर दिया गया है।

32. हिमाचल पथ परिवहन निगम ने गत वर्ष अपने बेड़े में 210 नई बसें, 35 ई–बसें, 11 वॉलवों बसें, 18 इनोवा क्रिस्टा एवं 12 टेम्पों ट्रेवलर शामिल किए है। सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के लिए परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए **प्रथम दर्शन सेवा** का शुभारम्भ किया है। आम जनता की मांग पर निगम द्वारा 36 नई बस सेवाएं आरम्भ की गई है। साथ ही बसों के रख–रखाव से संबंधित खर्चों को नियंत्रित करने के लिए केन्दीयकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली लागू की गयी है। स्व–रोजगार बढ़ाने के लिए टैक्सी, मैक्सी व बसों के 12 हज़ार 535 कॉन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट पिछले एक वर्ष में जारी किए गए।

33. मेरी सरकार द्वारा वाहन पंजीकरण नम्बरों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। विभिन्न विशेष पंजीकरण नम्बरों की ई–नीलामी के माध्यम से आज तक 11 करोड़ 40 लाख रुपये का राजस्व सरकारी खजाने में जमा हुआ है।

34. हिमाचल बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा गत वर्ष भंजराडू, बरछवाड़, हरिपुर, देहरा एंव कुमारसैन बस अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

35. मेरी सरकार राज्य में रेलवे का नेटवर्क विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भानुपाली (पंजाब) को बिलासपुर और बेरी से जोड़ने के लिए 6 हज़ार 753 करोड़ 42 लाख रूपये की लागत वाली 63 किलोमीटर लंबी परियोजना प्रगति पर है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 25:75 के लागत अनुपात में विकसित

की जा रही है। अब तक राज्य के हिस्से के रूप में 801 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 115 करोड़ 99 लाख रुपये जारी किए गए हैं। बिलासपुर तक कुछ खंडों को छोड़कर बाकी जमीन रेलवे को सौंप दी गई है। बिलासपुर तक इस रेलवे लाइन का काम मार्च, 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

36. चण्डीगढ़ और बद्दी को जोड़ने वाली 31 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन एक हज़ार 540 करोड़ 13 लाख रुपये के खर्चे से सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 के लागत अनुपात में बनाई जायेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब तक राज्य के हिस्से के रूप में 217 करोड़ 75 लाख रुपये जारी किए हैं, जिसमें वर्ष 2023–24 के दौरान जारी 4 करोड़ 68 लाख रुपये शामिल हैं। इसे दिसंबर, 2025 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

37. ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाने, नागरिकों को 24 घण्टे, गुणवता वाली बिजली प्रदान करने तथा अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश में एच0 पी0 ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (HPEMC) की स्थापना की गई है। राज्य को मुफ्त बिजली रॉयल्टी शेयर की बिक्री से लगभग 1700 करोड़ रूपये का राजस्व इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त होना अपेक्षित है।

38. पिछले साल प्राकृतिक आपदा से ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण लारजी पावर हाउस परियोजना के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरण तथा इसकी एच0टी0 और एल0टी0 लाइनें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी। आपदा से इस परियोजना को लगभग 658 करोड़ रूपये की क्षति हुई थी। अथक प्रयास से इस परियोजना के एक यूनिट को 15 जनवरी, 2024 को बहाल कर दिया गया है। शेष दो यूनिटों को मार्च, 2024 तक बहाल कर दिया जाएगा।

39. भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 40 मेगावाट की लगभग 7 हज़ार करोड़ रूपये लागत की रेणुकाजी बांध परियोजना आवंटित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के अन्तर्गत 207 करोड़ 23 लाख रूपये की राशि पहली किश्त के रूप में प्राप्त हुई है। इस बांध के विस्तृत डिजाइन को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

40. HP-PTCL द्वारा 292 करोड़ 36 लाख रूपये की लागत से जिला कुल्लू, शिमला, चम्बा तथा सिरमौर में 220 किलोवाट के 06 सब–स्टेशनों का निर्माण किया गया और 758 M.V.A की क्षमता स्टेट पावर ट्रासमिशन में जोड़ी गई है।

41. कृषि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हमारी 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 57 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है। कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए मेरी सरकार ने इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

42. संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया था। पोषक अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक करोड़ 51 लाख रुपये के परिव्यय के साथ विभिन्न प्रयास किये तथा पूरे प्रदेश में खाद्य उत्सवों व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें लगभग 62 हज़ार 700 किसानों ने भाग लिया।

43. प्रदेश में 2 हज़ार 310 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती की जा रही है। इस वर्ष एक हज़ार 167 मीट्रिक टन चाय का उत्पादन हुआ जो कि पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक है। कांगड़ा चाय को उसके विशिष्ट गुणों के लिए इस वर्ष GI Tag (यूरोपीय यूनियन प्रोटेक्टेड भौगोलिक संकेतक) भी प्राप्त हुआ है।

44. **जायका परियोजना** के अन्तर्गत 3 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जापान के तकनीकी सहयोग से शिटाके मशरूम प्रशिक्षण केंद्र (Shiitake Mushroom Training Centre) स्थापित किया गया है। 172 किसानों को शिटाके मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे किसानों की आय बढ़ी है।

45. फसल बीमा किसानों की आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है। इस वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए बीमित राशि को पिछले वर्ष के मुकाबले दुगना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्रोक्ली, शिमला मिर्च, मटर, फूलगोभी और बंदगोभी की फसलों को पहली बार **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** में शामिल किया है।

46. **प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना** के तहत इस वर्ष 19 हज़ार 986 अतिरिक्त किसानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति से खेतीबाड़ी शुरू की है। प्रदेश में अब तक एक लाख 82 हज़ार किसान परिवार 77 हज़ार एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे है। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 71 हज़ार 388 अतिरिक्त किसान प्रमाणीकृत किए जा चुके हैं।

47. **जल से कृषि को बल** व **बहाव सिंचाई योजना** के अन्तर्गत 18 करोड़ रुपये की लागत से 997 सिंचाई योजनाओं/जल संग्रहण योजनाओं का निर्माण किया गया, जिससे लगभग एक हज़ार 684 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

48. मेरी सरकार बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश की सम्भावनाओं के बारे में पूर्णतः सजग है। बागवानी में विविधीकरण के लिए वर्ष 2023–24 में 2 हज़ार 110 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में **ड्रैगन फ्रूट** की खेती की भी शुरुआत की गई है।

49. **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना** के अन्तर्गत तीन नई फसलों लीची, अनार और अमरूद को भी शामिल किया गया है तथा बीमित राशि को भी बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, सेब और अन्य फलों की फसलों को राज्य के सभी बाजारों में वजन के आधार पर **(किलो के आधार पर)** बेचे जाने का निर्णय लेकर इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया है।

50. मेरी सरकार द्वारा **मण्डी मध्यस्थता योजना** के अंतर्गत सेब व आम के समर्थन मूल्य को एक रूपये 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ौतरी कर 12 रूपये प्रति किलो किया गया। इसके अतिरिक्त CA स्टोर, फल प्रसंस्करण इकाईयों व ग्रेडिंग पैकिंग इकाईयों की क्षमता को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।

51. **एच0पी0 शिवा** में पायलट प्रोजैक्ट के तहत 500 हैक्टेयर में संतरा, अमरूद, लीची और अनार के उच्च घनत्व खेती के बगीचे सामुदायिक (कलस्टर) आधार पर स्थापित किए गए हैं। यह भारत में किसी सामुदायिक बागवानी परियोजना का पहला सफल कार्यान्वयन था। एच0 पी0 शिवा परियोजना के लिए जुलाई, 2023 में एक हज़ार 292 करोड़ रुपये के ऋण

समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना 6 हज़ार हेक्टेयर पर लागू की जाएगी जिससे 7 जिलों के 15 हज़ार बागवान परिवार लाभान्वित होंगे।

52. प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुधारने हेतु दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपये की **हिम गंगा योजना** शुरू की गई है। इस योजना के तहत न सिर्फ वर्तमान व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है बल्कि कांगड़ा जिला के ढंगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक विश्व स्तरीय दुग्ध प्रसंस्करण संयत्र (Milk Processing Plant) भी स्थापित किया जायेगा। इसके लिये National Dairy Development Board (NDDB) के साथ अनुबंध किया गया है। मेरी सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में एक साथ 6 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की जो कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

53. पशुपालकों को उनके घर द्वार पर गंभीर पशु रोगों की चिकित्सा सुविधा विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों से उपलब्ध करवाने हेतु 44 मोबाईल वैन क्रय कर ली गई हैं। यह सेवा शीघ्र प्रारंभ की जायेगी।

54. हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड द्वारा प्रदेश में 102 ऑटोमैटिक मिल्क कलैक्शन यूनिट स्थापित किये गये हैं और दूर दराज के इलाकों से गुणवत्तापूर्ण दूध एकत्र करने के लिए 320 लिटर क्षमता के 55 मिल्क कूलर छोटी समितियों को उपलब्ध करवाये गये हैं। उत्तम पशुपालकों को Good Practices के लिये एक करोड़ 50 लाख रूपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है।

55. प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और ग्रामीणों की आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 29 करोड़ 92 लाख 18 हज़ार रूपये की विभिन्न परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगभग 353 युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर भी प्रदान किये गये हैं।

56. मेरी सरकार मछुआरों को नए युग के लिए तैयार करने हेतु मत्स्य पालन की नई पद्धतियों जैसे बायोफ्लाक (Biofloc), RAS तथा Cages को प्रोत्साहन दे रही है। इसके साथ

ही प्रदेश के विभिन्न जलाशयों एंव नदियों में एक करोड़ 60 लाख से ज्यादा मछलियों के पिंगल (फिंगरलिंग) डाले गए ताकि इन जलाशयों में मछली की वृद्धि हो और मछुआरों एंव अन्य जनता को इसका लाभ पहुंच सके।

57. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार की 5 हज़ार 156 सहकारी सभाऐं ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यरत है। इन सभाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रथम–चरण में 90:10 के अनुपात में 870 पैक्स (PACS) का चयन किया गया है। इस कार्य पर अब तक 10 करोड़ 62 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं।

58. मेरी सरकार ने **मनरेगा** के तहत 2 करोड़ 25 लाख कार्य–दिवस अर्जित कर 5 लाख 50 हज़ार से अधिक परिवारों को रोज़गार प्रदान किया है। इसमें से 65 प्रतिशत रोज़गार महिलाओं को दिया गया है। मनरेगा के तहत 63 हजार से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं और 979 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं। इस योजना के तहत गैर–जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों में मज़दूरी दर में क्रमशः 14 एवं 16 रूपये की वृद्धि की है। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है और राज्य के सभी गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है।

59. प्रदेश को पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर के मध्य प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है। आपदा प्रभावितों की मदद के लिए मेरी सरकार ने **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत गरीब लोगों के लिए 10 हज़ार 23 घर स्वीकृत किए हैं।

60. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु 180 नये पंचायत घरों के निमार्ण के लिए 24 करोड़ 18 लाख रूपये तथा 140 पुराने पंचायत घरों के उन्नयन हेतु 19 करोड़ 72 लाख रूपये जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए मानक मंजूरी को 30 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ 15 लाख रूपये कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के हर श्रेणी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि कर 15 करोड़ 91 लाख रूपये का अतिरिक्त वार्षिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

61. समुदाय संचालित वन प्रबंधन और योजना को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर, 2023 से **वन मित्र योजना** शुरू की गई है। वन मित्र पूरे वर्ष वन विभाग के सभी वानिकी कार्यों से जुड़े रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वन बीट में वन मित्र लगाये जायेंगे। 2 हज़ार 61 वन मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया 30 नवंबर, 2023 से शुरू हो चुकी है।

62. शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन सम्पत्ति कर प्रणाली शुरू की गई है। संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने के बाद सभी शहरी स्थानीय निकायों में **हिम–परिवार रजिस्टर** भी शुरू कर दिए गए हैं। नगर निगमों के सुचारू व कुशल कामकाज के लिए, अंतर निगम स्थानान्तरण और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय नगर निगम काडर का गठन किया गया है।

63. प्रदेश के विभिन्न आय वर्गों के लोगों की आवासीय मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, मेरी सरकार हिमुडा के माध्यम से मकान, फ्लैट और विकसित प्लॉटों का आवंटन कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2023 तक हिमुडा ने 64 फ्लैटों का निर्माण और 148 प्लॉटों का कार्य पूरा किया है।

64. राज्य सरकार ने घर मालिकों को राहत प्रदान करते हुए लागत के आधार पर प्वाईट टू फ़ाईव का अतिरिक्त FAR प्रीमियम लेने की अनुमति दी है। मैहतपुर, हाटकोटी, शिमला तथा कुल्लू घाटी में 4 नई विकास योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। सड़क के किनारे निर्माण को विनियमित करने के लिए एक नया फ़ोरलेन योजना क्षेत्र बनाया गया है तथा साडा केलांग का विस्तार भी किया गया है।

65. इमारतों के अंदर बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों में संशोधन किया गया है। पर्यटन और व्यवसायिक क्षमता को देखते हुए प्रदेश के 9 योजना तथा विशेष क्षेत्रों–बरोट, जाठिया देवी, मण्डी, जोगिन्द्रनगर, बंजार, रोहडू, कुफरी, हाटकोटी और बीड़–बिलिंग को पुनर्गठित किया गया है।

66. मेरी सरकार को खाद्या सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 454 प्रस्ताव स्वीकृत कर 349 प्रकरणों को 8 करोड़ 12 लाख 10 हज़ार रूपये की अनुदान राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, 92 नए उद्यमों तथा 49 स्थापित उद्यमों को परियोजना विस्तार के लिए **राज्य सिंगल विण्डो** के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे 2 हज़ार 148 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश होगा और 8 हज़ार 212 रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।

67. प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना को सशक्त तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। चालू वित्तीय वर्ष में जिला सोलन के भंगाला व नानोवाल, ज़िला कुल्लु के शिलीहार, ज़िला ऊना के सलूरी, ज़िला हमीरपुर के जाहू, ज़िला बिलासपुर के भदरोग में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिये 592 बीघा भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को **विशेष सहायता योजना, 2023–24** के अन्तर्गत जिला कांगड़ा के ढंगवार में यूनिटी माल के निर्माण हेतु 132 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

68. मेरी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सभी 19 अनुसूचित रोज़गारों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को एक अप्रैल, 2023 से बढा कर 375 रूपये प्रतिदिन किया गया है। अब तक प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कुल 47 हजार 592 श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है। इसके तहत लाभार्थी को न्यूनतम तीन हज़ार रूपये प्रतिमाह पैंशन मिलेगी।

69. प्रदेश में असंगठित श्रमिकों का भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करानें के लिये 20 लाख 87 हज़ार श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 2023 तक **ई–श्रम पोर्टल** पर कुल 19 लाख 50 हज़ार 715 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है।

70. मेरी सरकार द्वारा **कौशल विकास भत्ता योजना, 2013** के अन्तर्गत दिसंबर, 2023 तक 68 हज़ार 130 पात्र आवेदकों को कौशल प्रशिक्षण के दौरान 29 करोड़ 70 लाख रूपये प्रदान किये गये। जबकि **औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018** के अन्तर्गत 354 पात्र

आवेदकों को उद्योगों में नौकरी एवं प्रशिक्षण के दौरान 22 लाख रूपये भत्ता प्रदान किया गया है। **बेरोजगारी भत्ता योजना, 2017** के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 22 हज़ार 593 पात्र बेरोज़गार लाभार्थियों को कुल 19 करोड 34 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।

71. रोज़गार कार्यालयों में पंजीकरण एवं नवीनीकरण 01 अगस्त, 2023 से पूर्णतः ऑन लाईन हो गया है। इच्छुक आवेदक अपना नाम सुविधा अनुसार बिना रोज़गार कार्यालय गये कहीं से भी विभाग के MIS पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करवा सकते है। इस पोर्टल पर नियोक्ताओं के पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया है। अब तक 488 नियोक्ता इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

72. जनजातीय क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किन्नौर, चम्बा और लाहौल–स्पीति के लिए 29 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से एंटीफ्रीज़ (Anti-freeze) जल आपूर्ति योजनाओं के 4 प्रस्तावों को पायलट आधार पर मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, पूरे राज्य में निर्धारित जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 9 हज़ार 551 योजनाओं की पहचान की गई है।

73. प्रदेश के 58 कस्बों व शहरी निकायों के लिए जल आपूर्ति की 58 योजनाओं में से 46 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ–पपरोला, नेरचौक और करसोग में सुधार योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

74. राज्य के 17 शहरों के छूटे हुए क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के उन्नयन तथा बेहतर जल आपूर्ति के लिए **MRUT योजना** के दूसरे–चरण में 296 करोड़ 87 लाख रूपये की DPR स्वीकृत की गई है। इसके तहत नगर निगम, कुल्लू में छूटे हुए क्षेत्रों में सीवरेज कनेक्टिविटी तथा बदाह में STP के उन्नयन हेतु 11 करोड़ 60 लाख रुपये की मंजूरी भी दी गई है।

75. प्रदेश के नौ शहरों–गगरेट, डलहौज़ी, चुवाड़ी, रिवालसर, भोटा, संतोखगढ़, तलाई, बैजनाथ–पपरोला और नेरचौक में नई सीवरेज योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरवा और शाहपुर के 5 कस्बों में सीवरेज प्रणाली स्थापित करने हेतु राज्य मद से 132 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

76. मेरी सरकार ने मनाली, पालमपुर, बिलासपुर, नाहन और करसोग में सीवरेज सुविधाएं और मनाली तथा पालमपुर में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 612 करोड़ रूपये की फंडिग के लिए।FD के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इसके लिये राज्य के हिस्से के रूप में 205 करोड़ 12 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

77. **फिना सिंह मध्यम सिंचाई योजना** के अन्तगर्त नूरपुर तहसील के 60 गांवों की 4 हज़ार 25 हैक्टेयर भूमि को 282 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता के लिए शामिल किया गया है। 14 SMI योजनाओं के अन्तर्गत 9 हज़ार 665 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 378 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वय हेतु अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ौतरी की गई है और टैंडर प्रक्रिया का समय 51 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

78. सड़कों का निर्माण, गुणवत्ता एवं उचित रख–रखाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। राज्य में वर्तमान में 40 हज़ार 703 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 23 गावों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 400 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कों के निर्माण, 743 किलोमीटर सड़कों की मैटलिंग व टारिंग, 43 पुलों का निर्माण, 555 किलोमीटर में जल निकास निर्माण व 989 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है।

79. केन्द्र सरकार से **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,** चरण–तीन के अन्तर्गत 2 हज़ार 683 किलोमीटर लम्बाई की कुल 254 सड़कों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 2 हज़ार 643 करोड़ 01 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 661 किलोमीटर की सड़कों को फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR) तथा 562 किलोमीटर सड़कों को सीमेंट ट्रीटेड बेस (CTB) तकनीक द्वारा बनाने हेतु अनुमोदित किया गया है।

80. चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में निर्माणाधीन पांच फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दो ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित निजी जमीन के मुआवजे के रूप में

सम्बन्धित भू–मालिकों को अब तक कुल 2 हज़ार 85 करोड़ 6 लाख रूपये की राशि का वितरण किया गया है।

81. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ की गई **मुख्यमंत्री सड़क रख रखाव योजना** (MMSRY) के अंतर्गत 22 करोड़ 65 लाख रूपये की लागत से 3 हज़ार 82 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों में 6 लाख 5 हज़ार वर्ग मीटर का पैचवर्क पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त, CRIF के अन्तर्गत 294 करोड़ 93 लाख रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

82. मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं दूरगामी सुधार प्रारम्भ किये हैं। **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप पहली कक्षा में प्रवेश के लिये बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है और तीन से छः वर्ष के बच्चों को बाल वाटिका में प्रवेश दिया जायेगा। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिये **स्कूल कलस्टर प्रणाली** भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के सतत एवं प्रभावी मूल्यांकन तथा शिक्षा के स्तर मे सुधार के लिए **विद्या समीक्षा केन्द्र** स्थापित किया गया है। आने वाले समय में विद्या समीक्षा केन्द्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार का मील पत्थर साबित होगा।

83. प्रदेश में स्कूली स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रथम–चरण में 4 राजीव गांधी Model Day-Boarding School स्थापित किये जायेंगे। जिनके लिये भूमि का चयन कर 43 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई है।

84. मेरी सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में धन की कमी बाधा न बने, इसके लिये **डॉ0 यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना** आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत पात्रता पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को 20 लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण केवल एक प्रतिशत ब्याज पर प्रदान करने का प्रावधान है।

85. तकनीकी क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ईंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 2 बहुतकनीकी संस्थानों में आर्टिफिश्यिल इंटेलिजेंस एवं डाटा साईंस, इन्टरनेट आफ थिंग्स तथा मैक्ट्रोनिक्स जैसे नए विषय आरम्भ किए गए हैं। प्रदेश के 17 औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों में नए युग के कोर्स जैसे इंटरनैट आफ थिंग्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वाहन, फाइबर टू होम टेक्निशियन इत्यादि करवाये जा रहे हैं। शाहपुर में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए नया ट्रेड आरम्भ किया गया है।

86. मेरी सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में आयोजित रोजगार मेलों व कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से आधुनिक तकनीकी में दक्ष 3 हज़ार 567 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है।

87. एशियन डवेलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित **हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना** के तहत राज्य के 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, एक बहुतकनीकी तथा एक इंजिनीयरिंग महाविद्यालय की मशीनरी एवं उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु 80 करोड़ 31 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं। **STRIVE** के अन्तर्गत राज्य सरकार के 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 07 उद्योग समूहों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 34 करोड़ 37 लाख 84 हज़ार रूपये की राशि खर्च की गई है।

88. मेरी सरकार देवभूमि में स्थित शक्तिपीठों व अन्य प्रमुख मन्दिरों में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। इस वर्ष चिन्तपूर्णी मन्दिर में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को एक सहायक सहित दर्शन के लिए **'सुगमदर्शन योजना'** आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन लंगर बुकिंग व आनॅलाइन प्रसाद प्राप्ति आदि की सुविधाएं भी आरम्भ की गई हैं। इसी प्रकार कांगड़ा ज़िला के मंदिरों में online पूजा की सुविधा प्रारम्भ की गई है। यह सुविधायें अन्य मन्दिरों में भी आरम्भ की जायेंगी।

89. शिमला के बैन्टनी कैसल में एक नये संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है और यहां शिमला के इतिहास एवं क्रमिक विकास को प्रदर्शित करने के लिये प्रतिदिन LightAnd Sound Show भी प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष प्रदेश में मंदिरों के संरक्षण, संवर्धन एवं जीर्णाद्धार के लिए 7 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी। हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोये रखने के लिये विभिन्न मेलों के आयोजन के लिए

सरकार द्वारा आयोजन समितियों को इस वर्ष एक करोड़ छः लाख रूपये का अनुदान प्रदान किया गया है।

90. हिमाचल को समृद्ध धार्मिक परम्पराओं, आस्था के प्रतीक शक्तिपीठों और जीवंत देव परम्पराओं के कारण देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। यह पराक्रम शौर्य और बलिदान की भूमि है। मेरी सरकार उन सभी वीरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। मेरी सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा सभी सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है। अन्य कारणों से वीरगति प्राप्त होने पर यह राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख 50 हज़ार रुपये कर दी गई है।

91. पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के माध्यम से 12 करोड़ 22 लाख रूपये की धनराशि 2 हज़ार 551 लाभार्थियों को प्रदान की गई है। मेरी सरकार द्वारा नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को बुढ़ापा पैन्शन प्राप्त करने हेतु पूर्व में निर्धारित 35 हज़ार रूपये की वार्षिक आय सीमा को भी समाप्त कर दिया है।

92. अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति का सतत् विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2022–23 की लम्बित देनदारियों की प्रतिपूर्ति हेतु 12 करोड़ 39 लाख रूपये की धनराशि जारी की है। आगामी तीन वित्तीय वर्षों के लिए 228 करोड़ 73 लाख रूपये का Perspective Plan केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में **प्रधानमन्त्री आदि आदर्श ग्राम योजना** के अन्तर्गत भी 7 करोड़ 74 लाख 44 हजार रूपये का प्रस्ताव जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

93. मेरी सरकार द्वारा **जीवंत ग्राम कार्यक्रम** (Vibrant Village Programme) के तहत, भारत सरकार को आगामी तीन वित्तीय वर्षों के लिए कुल 658 करोड़ 31 लाख रूपये का

प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 3 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि में से 87 लाख रूपये केन्द्रीय राशि के रूप में प्राप्त हो चुके हैं।

94. मेरी सरकार ने एक अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक 29 लाख 84 हज़ार उपभोक्ताओं को लगभग 75 हज़ार 586 मीट्रिक टन आटा व 58 हज़ार 388 मीट्रिक टन चावल मुफ्त वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के शेष 42 लाख 71 हज़ार उपभोक्ताओं को 9 रूपये 30 पैसे प्रति किलो की दर से एक लाख 23 हज़ार 96 मीट्रिक टन आटा व 10 रूपये प्रति किलो की दर से 57 हज़ार 961 मीट्रिक टन चावल वितरित किए गए हैं।

95. **हिमाचल प्रदेश स्टेट सब्सिडी स्कीम** के अन्तर्गत राज्य के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को 3 किलो ग्राम दालें, एक से दो लीटर सरसों व रिफांइड तेल, एक किलो नमक व 500 ग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड उपलब्ध करवाई गई है जिस पर 175 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं।

96. किसानों को गेंहू व धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने हेतु 10 नई मंडियां स्थापित की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 हज़ार 868 मीट्रिक टन गेंहू तथा 22 हज़ार 897 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।

97. मेरी सरकार युवाओं के चहुंमुखी विकास की दिशा में लगातार प्रयासरत रही है। प्रदेश में 13 खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जिनमें उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला बिलासपुर के लुहणू में **खेलो इंडिया योजना** के अन्तर्गत राज्य स्तरीय उत्कृष्टता केन्द्र इंडोर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स स्थापित किया गया है, जहां एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और जूडो, प्रत्येक खेल में 30 खिलाडियों – 15 लड़कों और 15 लड़कियों – को कोचिंग दी जा रही है।

98. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के कार्य को सुचारू और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए विभाग को दो शाखाओं आबकारी शाखा और कराधान शाखा में पुनर्गठित किया गया है। GST में सम्मिलित अधिनियमों के तहत विरासत के मामलों को कम करने और मुकदमेबाजी के तहत बकाया के निपटान के उद्देश्य से **हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत**

मामले समाधान योजना–2023 को अधिसूचित किया गया और इसे 3 चरणों के लिए बढ़ाया गया। इस योजना के तहत कुल 10 हजार 249 मामले निपटाए गए जिनसे 21 करोड़ 89 लाख 57 हज़ार 902 रूपये समझौता शुल्क के रूप में प्राप्त हुए।

99. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में **नई आबकारी नीति** स्वीकृत की गई है जिसके अंतर्गत शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी की प्रकिया से किया, जिससे राज्य को 519 करोड़ रूपये का अनुमानित अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जोकि इससे पिछले वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त, शराब पर प्रति बोतल 10 रूपये मिल्क सैस लगाया है जिससे दिसम्बर, 2023 तक 85 करोड़ 62 लाख रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग दुग्ध उत्पादकों व किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में किया जा रहा है।

100. भू–राजस्व प्रशासन ऐसा क्षेत्र है जहां जनता का सरकार से सबसे अधिक सरोकार रहता है। मेरी सरकार ने राजस्व के लम्बित मामलों के निपटान हेतु पिछले एक वर्ष में अभूतपूर्व पहल की है। राजस्व मामलों के निपटान व प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए अधिनियमों व नियमों में बदलाव किया जा रहा है। लम्बे समय बाद **हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954** को संशोधित कर राजस्व न्यायालयों में तकसीम, निशानदेही, इन्तकाल, दुरूस्ती इत्यादि जैसे राजस्व मामलों के फैसलों के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने राजस्व लोक अदालतों की शुरूआत की है। इस वर्ष अक्तूबर के बाद राजस्व लोक अदालतों में तकसीम व इन्तकाल के 95 हजार 120 मामलों का निपटान किया गया।

101. **विकास में जन सहयोग कार्यक्रम** के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष की प्रथम और द्वितीय तिमाही में सभी गैर जनजातीय जिलों को 25 करोड़ रुपये जारी किए गए। तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही की देय राशि को प्रदेश में बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु उपयोग किया गया। जनजातीय जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 करोड़ 10 लाख रुपये एकमुश्त जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम (SDPP) के अन्तर्गत बरसात से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा तथा नालों के तटीकरण का प्रावधान किया गया है।

102. मेरी सरकार प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा 41 मामलों में 18 लाख 19 हज़ार 150 रुपये की रिश्वत राशि बरामद की है। राज्य के 48 मौजूदा पुलिस स्टेशनों और 03 नवनिर्मित पुलिस स्टेशनों में 48 लाख 30 हज़ार रूपये की लागत से नए CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं।

103. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस में सीधी–भर्ती के माध्यम से 1 हज़ार 226 कांस्टेबल (पुरुष, महिला और ड्राइवर) की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए रखे हैं।

104. प्रदेश पुलिस की CCTNS एवं पासपोर्ट सत्यापन कार्य प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

105. प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाए जाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था में बेहतरी के लिए मेरी सरकार ने ऊना ज़िले में टाहलीवाल, सोलन ज़िला में सायरी, कांगड़ा ज़िला में रैहन और बीड़ स्थित पुलिस पोस्टों को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड (upgrade) किया है। धर्मशाला और मण्डी में 02 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। ज़िला बिलासपुर के भगेड़, मंडी के नेरचौक और कुल्लू के भुंतर में 03 यातायात पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, IIMS बिलासपुर में एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है। इन सभी के लिये 146 नये पद सृजित किये गये हैं।

106. अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023–24 में आग लगने की घटनाओं की एक हजार 595 सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 544 करोड़ रुपये की सम्पति को नष्ट होने से बचाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में जिला हमीरपुर के नादौन तथा जिला शिमला के देहा में नया उप–दमकल केन्द्र तथा नई दमकल चौकी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

107. युवाओं में नशे की समस्या प्रदेश के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के लिए व्यापक जन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कानून को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है। वर्ष 2023 में राज्य में 1 हज़ार 400 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ ज़ब्त किये हैं और 2 हज़ार 146 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 103 महिलाओं, 6 विदेशियों समेत कुल 3 हज़ार 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में क्रिप्टो करंसी के रैकेट का पर्दाफ़ाश भी किया गया है।

108. नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु PIT NDPSAct को भी अधिसूचित किया गया है। जिसके अन्तर्गत नशे की लत में संलिप्त अपराधियों को एक वर्ष तक preventive detention में रखा जा सकता है।

109. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की लिए सार्थक और तीव्र कदम उठाये गये हैं। सरकारी कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन किया गया है।

110. गत वर्ष में हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल के माध्यम से 104 अतिरिक्त सेवाएँ जोड़ी गयी हैं। अब इस पोर्टल के माध्यम से कुल 217 सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। दिसंबर तक इस पोर्टल के माध्यम से 12 लाख 50 हज़ार आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। राज्य के स्टेट डेटा सेंटर (SDC) की क्षमता को 90 करोड़ रुपए की लागत से दोगुना किया जा रहा है।

111. मेरी सरकार द्वारा सरकार की विकासात्मक नीतियों, कार्यक्रमों तथा विकासात्मक पहलों का समाचार वैब चैनल्ज, समाचार वैबसाइट्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लूयैंसर्ज़ के माध्यम से प्रभावी तथा किफ़ायती प्रचार–प्रसार करने के लिए डिजिटल मीडिया नीति–2024 अधिसूचित की गई है।

112. मेरी सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों के कारण 21 फरवरी, 2023 को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भंग कर दिया गया था। इसके पश्चात् भर्ती प्रणाली में जनता का विश्वास जगाने व एक नई निष्पक्ष और स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के

गठन की संभावनाओं पर विचार करने के पश्चात् 30 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) स्थापित किया गया है।

प्रदेश सरकार ने एक वर्ष की इस अवधि में ईमानदार प्रयासों के साथ नई योजनाएं आरम्भ की है तथा प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। सभी क्षेत्रों का समान विकास और सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। सरकार, समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जिसकी आवाज़ आसानी से ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का शत–प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। समाज के इन्हीं वर्गों का सशक्तिकरण मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है जिसमें सबका सहयोग अपेक्षित है।

तमाम चुनौतियों के बावजूद मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अगले चार वर्षों में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर तथा दस वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब माननीय सदस्यगण निष्ठा एवं समर्पण से इस प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे और हिमाचल अपनी युवा शक्ति, मज़बूत इरादों, ईमानदार व मेहनतकश प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों से इस लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सब माननीय सदस्यगण इस माननीय सदन में सार्थक चर्चा एवं विचार–विमर्श में बढ़–चढ़ कर भाग लेंगे।

आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, मैं आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही यू.ए.ई. में आज के दिन एक भव्य मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, उसके लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

(राष्ट्रगान गाया गया)

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 यशपाल शर्मा
दिनांक: 14 फरवरी, 2024 सचिव।